

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. तहसीलदार बस्सी को पुनः पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 30/4/24 को पेश है।
	30/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकार उप. पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 16/5/24 को पेश है।
	16/5/24	पत्रावली पेश हुई। PO माहव के कार्य के कारण पत्रावली कार्यवाही नहीं हो पायी। पत्रावली दिनांक 25/6/24 को पेश है।
	25/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. तहसीलदार बस्सी को पुनः पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 8/7/24 को पेश है।
	08/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपाक्षित। प्रकरण में काफी दिनों से पालना रिपोर्ट कावजूरद तहसीलदार को जारी तहसील के गर्दी आने तथा वकील प्राची द्वारा पूर्व में जारी निर्णय की पालना की स्वतंत्रता रखने हेतु निवेदन कर प्रकरण को इसी रुतर पर ड्राप डिपे जाने हेतु निवेदन कर पर प्रा. पत्र इजराय को इसी रुतर पर ड्राप डिपे

फर्द अहकाम

य

बनाम _____

/20 _____

ता संख्या / वर्ष

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

जाता है। जो इस स्वतंत्रता
के साथ की प्राचीन अधिनियम
अविष्य में पालना सिद्धि की
नहीं होने पर पुनः इजराय
प्रा. पत्र तदनुसार कर सका है।

पत्रावली फैलवा शुमार
होकर नम्बर ले कम होने
के बाव तन्मील दाखिल
दफ्तर हो।

मना

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर
जगदीश नारायण पुत्र श्योनाथ बनाम 1. बद्रीनारायण पुत्र डूगरमल
जाति हरियाण ब्राह्मण निवासी 2. विशाल पुत्र डूगरमल
ग्राम नयागांव तह.बस्सी जिला 3. गंगासहाय पुत्र मूलचन्द
जयपुर 4. सूरजमल पुत्र लादुराम
5. प्रहलाद नारायण पुत्र लादुराम
6. रामकिशोर पुत्र रामनाथ
7. शंकरलाल पुत्र रामनाथ
8. कल्याणी पत्नि रामनाथ
9. छीतरमल पुत्र गोविन्दा
समस्त जाति हरियाण ब्राह्मण
निवासी ग्राम नयागांव तह.बस्सी
10 उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर
11 तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 23/17

निर्णय दिनांक 01.02.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि के मूल ख.नं. 36, 38, 28 के मध्य सीमा को लेकर दोनो पक्षों में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए भू प्रबन्ध विभाग जयपुर एवं तहसीलदार बस्सी को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 58/36, 60/36, 62/36, 28/2, 38/2 स्थित ग्राम नया गांव तहसील बस्सी जिला जयपुर का दोनों पक्षों की मौजूदगी में नियमानुसार टीम गठित कर सीमाज्ञान की कार्यवाही कर दोनों पक्षों की भूमियों की सीमाओं का नक्शे अनुसार पैमाइश कर जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार उनकी भूमिया अलग-अलग दर्ज हिस्से अनुसार संभलायी जावें। सीमा ज्ञान होने तक दोनो पक्षो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दुसरे की कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे।।..... निजी.....मुवलिक.....बाबत.....खर्चा..... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसखत करे दस्तख्त व मुहुर अदालत के आज तारीख 01.02.2018 को जारी किया गया।
दस्तख्त.....*Shard*.....*1.2.18*

हदा	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

